न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 34 / 2023

श्रीमती ममता पत्नी श्री मुकेश पुत्री श्री मुन्नालाल, आयु 32 वर्ष, निवासी–77 पलटन बाजार, अजमेर

..........अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 77, पलटन बाजार, अजमेर
2. मुकेश पुत्र श्री लालचंद आयु 33 वर्ष, निवसी 77, पलटन बाजार, अजमेर वर्तमान पदस्थापन पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर (9828247327)

......रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 27.07.2022 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 07.02.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 27.07.2022, जिसमें "अप्रार्थी / (अपीलान्ट), प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। प्रार्थिया विधवा महिला है। अपीलार्थी / अप्रार्थीया श्रीमती ममता का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 2 मुकेश के साथ दिनांक 15.05.2010 को टोंक राजस्थान में सम्पन्न हुआ था। दिनांक 21.10.2021 को प्रत्यर्थी / प्रार्थिया श्रीमती रूकमा पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल, आयु 72 वर्ष निवासी पलटन बाजार, अजमेर की ओर से एक विधिक नोटिस अपीलार्थी / अप्रार्थीया को प्राप्त हुआ, जिसमें यह कथन किया गया कि प्रत्यर्थी / अप्रार्थीया मुकेश पुत्र श्री लालचंद, श्रीमती रूकमा देवी का नवासा (पोत्र) एवं श्रीमती ममता, उसके पौत्र की पत्नी है, जो उसके आवासीय परिसर में निवास कर रहे है। उक्त विधिक नोटिस में वह परिसर 77, पलटन बाजार, अजमेर की स्वामी है, जहॉ उसके पौत्र (नवासा) व उसकी पौत्रवधु को निवास करने की अनुमति दी गई थी, प्रार्थिया एवं उसके स्वर्गवासी पति की स्वयं अर्जित आय से खरीदे एवं निर्मित किए गये मकान जो कि प्रार्थीया के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति से अपीलांन्ट को बाहर निकालने जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 स्वयं उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दिनांक 12.12.2023 को उपस्थित आये तत्पश्चात निरन्तर गैर हाजिर। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी / अप्रार्थीया श्रीमती ममता का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 2 मुकेश के साथ दिनांक 15.05.2010 को टोंक राजस्थान में सम्पन्न हुआ था। दिनांक 21.10.2021 को प्रत्यर्थी / प्रार्थिया श्रीमती रूकमा पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल, आयु 72 वर्ष निवासी

डॉ. [illegible]
जिला [illegible], अजमेर

पलटन बाजार, अजमेर की ओर से एक विधिक नोटिस अपीलार्थी/अप्रार्थीया को प्राप्त हुआ, जिसमें यह कथन किया गया कि प्रत्यर्थी/अप्रार्थीया मुकेश पुत्र श्री लालचंद, श्रीमती रूकमा देवी का नवासा (पौत्र) एवं श्रीमती ममता, उसके पौत्र की पत्नी है, जो उसके आवासीय परिसर में निवास कर रहे है। उक्त विधिक नोटिस में वह परिसर 77, पलटन बाजार, अजमेर की स्वामी है, जहॉ उसके पौत्र (नवासा) व उसकी पौत्रवधु को निवास करने की अनुमति दी गई थी, जिंस अनुमति को उक्त विधिक नोटिस द्वारा समाप्त किया जाकर अपेक्षा की गई थी कि वह विधिक नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में परिसर का खाली कब्जा श्रीमती रूकमा देवी को सौप दे। उक्त नोटिस का उत्तर अपीलार्थी श्रीमती ममता के अधिवक्ता द्वारा जवाब दिनांकित 30.10.2021 प्रेषित करते हुये उक्त विधिक नोटिस के अभिकथनो को इन्कार किया गया तथा कथन किया गया कि विवाह पूर्व, श्रीमती रूकमा द्वारा अपीलार्थीया को यह कहा गया कि उसके द्वारा मुकेश को गोद लिया जा चुका है, परिणामतः वह उसका गोद लिया हुआ पुत्र है परन्तु विवाह उपरांत अपीलार्थी/अप्रार्थी श्रीमती ममता के साथ श्रीमती रूकमा देवी व उसके पति मुकेश द्वारा हिंसात्मक व्यवहार किया जाकर गैर कानूनी दहेज की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अप्रार्थीया द्वारा पुलिस थाना, सिविल लाईन, अजमेर में एफ.आई.आर संख्या 22/2020 दर्ज कराई गई। तदुपरांत अपीलार्थी/अप्रार्थीया के पति मुकेश द्वारा उक्त रिपोर्ट में आपसी समझौता यह कहकर किया गया कि वह सरकारी कर्मचारी है। दिनांक 02.02.2022 को श्रीमती रूकमा देवी द्वारा भरण पोषण अधिकरण (एस.डी.ओ) अजमेर के समक्ष एक परिवाद संख्या 05/2022 श्रीमती रूकमा देवी बनाम श्रीमती ममता व मुकेश के विरूद्ध अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत कर उसके कोई पुत्र नहीं है बल्कि तीन पुत्रियॉ है, जो विवाहित है और सुखमय जीवन यापन कर रही है। उसके द्वारा अपने पौत्र (नवासा) एवं पौत्रवधु को अपने साथ निवास किये जाने की अनुमति प्रदान इस आधार पर की गई थी कि वह पुलिस विभाग में पदस्थापित है और शादी के उपरांत वह उसकी देखभाल करेगे परन्तु विवाह उपरांत घरेलू हिंसा एवं अवैध दहेज की मांग के परिणामस्वरूप एक फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2021 पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर में दिनांक 12.01.2021 को प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 05/2022 श्रीमती रूकमा देवी बनाम श्रीमती ममता व अन्य की सुनवाई दिनांक 18.02.2022 को निर्धारित की गई परन्तु तारीख पेशी दिनांक 18.02.2022 एवं 04.03.2022 को अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्यो में व्यस्तता के कारण कोई प्रभावकारी आदेश पारित नहीं किया गया । तत्पश्चात दिनांक 12.03.2022 को उक्त प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया, जहॉ दोनो पक्षकार उपस्थित थे, लेकिन समझौते के अभाव में उक्त प्रकरण वास्ते नियमित सुनवाई दिनांक 25.03.2022 निर्धारित की गई। उक्त दिनांक को दोनो पक्षकार परिवादिया व अपीलार्थी/अप्रार्थीया श्रीमती ममता उपस्थित थी परन्तु अप्रार्थीया संख्या 2, मुकेश की अनुपस्थिति के बावजूद समझाईश की जाकर प्रकरण दिनांक 22.04.2022 को निश्चित किया गया। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक व्यस्त होने के दिनांक 27.07.2022 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में समाज कल्याण अधिकारी के समझाईश के बाद कोई संतोषजनक परिणाम के अभाव में उक्त आक्षेपित विधि विरूद्व आदेश पारित कर अपीलार्थी/अप्रार्थीया को आवासीय परिसर 15 दिवस में खाली किये जाने के आदेश पारित किये गये। आदेशिका दिनांक 25.03.2022 के अनुसार पक्षकारो के

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

मध्य समझाईश की गई, अंकित है तथा आगामी दिनांक 22.04.2022 निर्धारित की गई परन्तु उक्त आदेशिका दिनांक 25.03.2022 में यह अंकित नहीं किया गया कि समझाईश का क्या परिणाम रहा अर्थात् अगर समझाईश विफल रही तो पक्षकारो के कथन लेखबद्ध किये जाने चाहिए थे। नियम 13 में आदेशात्मक प्रावधान किया गया है कि समझौते अधिकारी के समक्ष किसी भी समझौते के निष्कर्ष के अभाव में पक्षकारो को अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा और एक संक्षिप्त इन्क्वायरी प्रस्तुत की जायेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19441/2022 उनवान श्रीमती ममता बनाम रूकमा व अन्य दिनांक 19.12.2022 को प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था कि प्रकरण संख्या 05/2022 श्रीमति रूकमा देवी बनाम ममता व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 को अपास्त घोषित किया जाये। उक्त रिट याचिका के लम्बित रहते तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा एक आदेश दिनांक 01.03.2023 पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महोदय, अजमेर के परिवाद भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 5/2022 उनवान श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल, निवासी मकान नम्बर 77, पलटन बाजार, अजमेर बनाम मुकेश पुत्र श्री लालचंद निवासी 77, पलटन बाजार, अजमेर में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.07.2022 की पालना में परिवादिया श्रीमती रूकमा देवी के स्वामित्व आवासीय परिसर खाली करने एवं चाबी सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाने से न्यायालय की पालना हेतु उक्त प्रकरण में मौका कार्यवाही किये जाने हेतु नायब तहसीलदार, अजमेर द्वितीय को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उनके नेतृत्व में राजस्व टीम का गठन किया गया और आदेशित किया गया कि दिनांक 16.03.2023 को न्यायालय निर्णय की पालना में कार्यवाही सम्पादित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अपीलार्थी के द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोसिजर फोलो नहीं किया गया साथ ही विवादित आदेश में कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ भारण पोषण अधिकारी (एस.डी.ओ) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 श्रीमती रूकमा बनाम श्रीमती ममता व अन्य में गठित राजस्व टीम द्वारा विधि विरूद्व रूप से अपीलार्थी श्रीमती ममता को बेदखल की गई कार्यवाही को अपास्त करते हुए श्रीमती ममता को पुनः उक्त परिसर 77, पलटन बाजार, अजमेर में पुनः उसके आधिपत्य में आवासीय परिसर को पुनः कब्जे में सौपे जाने के आदेश पारित कर श्रीमती ममता को उक्त आवासीय परिसर में पुनः आधिपत्य दिलवाये जाने व निवास करने के आदेश न्यायहित में पारित करे। अपीलार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत राजस्थान राजपत्र जून 18, 2010 भाग 4 (ग) 55 (26) पेज 26, व 2020 एससीसी ऑनलाईन एससी 1023 इन द सुप्रिम कोर्ट ऑफ इण्डिया, भारत का राजपत्र 29 दिसम्बर 2007, एवं वेस्टन लॉ केस 2023 (5) पेज 73 प्रस्तुत किए गए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, ने आपत्तियॉ प्रस्तुत कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने नवासे (दोहिते) व उसकी पत्नी अपीलार्थीया को अपने परिसर में रहने के लिए केवल मात्र अनुमति प्रदान की थी परन्तु अपीलार्थीया व उसके पति का प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रति अत्यन्त क्रूरतापूर्ण व्यवहार रहा तथा आये दिन आपस में लठाई झगडा कर घर में कलहपूर्ण माहौल बना देते। जिस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 21.10.2021 को प्रेषित कर उक्त रहवासीय अनुमति को निरस्त किया गया। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व अपीलार्थीया द्वारा परिसर खाली नही करने पर प्रत्यर्थी संख्या 1

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

श्रीमती
निवासी

ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिसर खाली करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार न्यायिक विवेचन कर निर्णित किया गया। इसके बावजूद भी अपीलार्थीया ने झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीया से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी ना ही किसी प्रकार से प्रताडित किया गया। अपितु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद भी अपीलार्थी जबरन परिसर में कब्जा कर रहना चाहती है तथा अतिक्रमण करना चाहती है व न्यायालय आदेश के बाद में कब्जा करने की कोशिश करी है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में दी गयी अनुमति को जरिये नोटिस निरस्त कर दिया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय के माध्यम से अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 2 को परिसर खाली करने हेतु आदेशित किया था। जबकि अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपना बचाव रखने हेतु जवाब पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा ना तो माननीय अधिकरण के समक्ष अपना जवाब पेश किया गया ना ही अधिकरण को अपीलार्थीया ने गम्भीरतापूर्वक लिया व अपीलार्थीया स्वयं व प्रत्यर्थी संख्या 2 सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 को हैरान परेशान करने की बदनियती से यह अपील पेश की है। अपीलार्थीया जों कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की विधिक पत्नी है, इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 का कर्तव्य है तथा अपीलार्थीया का यह दायित्व है कि वह अपने पति के साथ रहकर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करे। इसके बावजूद भी अपीलार्थीया, प्रत्यर्थी संख्या 1 को हैरान–परेशान करने की बदनियती से प्रत्यर्थी संख्या 1 को पक्षकार संयोजित करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है जो बिना किसी विधिक आधार के चलने योग्य नही होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विधि का यह नियम है कि जब लाईसेन्सकर्ता अपनी सहमति जारी रखता है तब तक ही लाईसेंसधारी परिसर का उपयोग उपभोग कर सकता है। लाईसेन्सकर्ता के द्वारा अनुमति/सहमति को रद्द कर दिये जाने के पश्चात् लाईसेन्सधारी को लाईसेन्सकर्ता के परिसर में कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र ममता व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलार्थी/अप्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के उपरान्त भी अपना जवाब प्रस्तुत नही किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 27.07.2022 पारित किया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 27.07.2022 पारित किया गया है, जो कि विधि संम्वत् एवं न्यायोचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.07.2022 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझती है। अतः अपील अपीलांन्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

आदेश दिनांक 27.07.2022 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर